

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

मीठासीन अधिकारी-

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 24/2022 26/2022

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस

GCMS NO - .....

उनवान- दुरेयकर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:आदेश:-

दिनांक : 03/01/2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का दागी जालो के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रमोपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 9 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>रमोपुरा</u>	9	<u>दुरेयकर पुत्र बमो लाल</u>	<u>दुरेयकर पुत्र बमो लाल</u>

उपखण्ड अधिकारी  
(सुनील कुमार चौहान) कटर  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, बुहाना

क्रमांक :- राजस्व / 2022 / 41-41

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. दुरेयकर / दुरेयकर पुत्र बमो लाल तहसील बुहाना

जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

दिनांक :- 03/01/2022

उपखण्ड अधिकारी  
(सुनील कुमार चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर,

